


राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / (1245) / 2018 / दिनांक:-

आदेश

श्रीमती तबस्सुम खान, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल (जिला भीलवाड़ा) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 26.11.2016 से 25.11.2018 तक 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 26.11.2018 से 01.03.2019 तक 96 दिवस का उपार्जित अवकाश।
3. दिनांक 02.03.2019 से 25.03.2019 तक 24 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश।
4. दिनांक 26.03.2019 से 09.06.2019 तक 76 दिवस का असाधारण अवकाश।


(सकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: ई-20 / म0स्वा0कार्य0 / (1245) / 2018 / 128 दिनांक:- 12/04/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल (जिला भीलवाड़ा)।
3. प्रधानाचार्य, रुही नर्सिंग कॉलेज ऑफ नर्सिंग C/O केशव हॉस्पिटल, कोटा बाईपास रोड़, भीलवाड़ा।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश / रक्षित पत्रावली।



(सकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर